न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2023-202RAAJodhpur2023-421RTA223 Foolchand Vs Narayanram etc

फूलचन्द पुत्र श्री नाथाराम, जाति खारड़िया सीरवी,
निवासी- बेरा लखावतों का पोल वाला बिलाड़ा,
तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राजस्थान।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. नारायणराम पुत्र श्री रुपाराम
2. भंवरलाल पुत्र श्री दानाराम
3. रतनलाल पुत्र श्री रूपाराम
4. लादूराम पुत्र श्री दानाराम
5. नाथी देवी पत्नी स्व. श्री रुपाराम
   सभी जातियान् खारड़िया सीरवी,
   निवासी- बेरा लखावतों का पोल वाला बिलाड़ा,
   तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राजस्थान।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 10 अप्रैल 2023 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा राजस्व मूल वाद संख्या 65/2021 स्व. जयराम के कायम मुकाम व अन्य बनाम जगदीश इत्यादि

उपस्थित-

श्री अशोक पटेल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री मदनलाल चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक से पांच
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या छः

नि र्ण य

दिनांक : 15 जनवरी 2024

15.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 65/2021 स्व. जयराम के कायम मुकाम व अन्य बनाम जगदीश इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 10 अप्रैल 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 08 नवंबर 2023 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जयराम पुत्र रूपाराम व रेस्पोडेंट संख्या एक से पांच द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का बिलाडा के चक संख्या 4 के खाता संख्या 1228 की भूमि खसरा नं. 2054 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा नं. 2055 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, खसरा नं. 2058 रकबा 0.0243 हैक्टेयर, खसरा नं. 2059 रकबा 0.6068 हैक्टेयर, खसरा नं. 2065 रकबा 0. 3641 हैक्टेयर, खसरा नं. 2069 रकबा 0.1861 हैक्टेयर, खसरा नं. 2077 रकबा 0.7605 हैक्टेयर, खसरा नं. 2081 रकबा 0.2670 हैक्टेयर, खसरा नं. 2089 रकबा 0.2912 हैक्टेयर, खसरा नं. 2100 रकबा 0.2103 हैक्टेयर, खसरा नं. 2101 रकबा 0.2184 हैक्टेयर कुल रकबा 3.1634 में वादी संख्या एक जयराम का ⅛, वादी संख्या दो नाथी देवी का ⅛, वादी संख्या तीन नारायणराम का ⅛, वादी संख्या चार भंवरलाल का ¼, वादी संख्या पांच रतनलाल का ⅛ व वादी संख्या छः लादूराम का ¼ हिस्सा होना का तथा खाता संख्या 1293 के खसरा नं. 2102 रकबा 0.4530 हैक्टेयर ग्राम बिलाड़ा चक 4 तहसील बिलाड़ा में वादी-पक्ष का ½ हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या एक से आठ का संयुक्त ½ हिस्सा होना जाहिर करते

15.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हुए पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद स्वीकार कर दिनांक 10 अप्रैल 2023 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की गई, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य निर्णय एवं डिक्री क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर एकपक्षीय पारित की है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 107(1) में स्पष्ट किया गया है कि अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य होना आवश्यक है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर नियम के विरूद्ध ग्राम बिलाड़ा चक-4 के खसरा नं. 2102 रकबा 0.4530 हैक्टेयर का पश्चिमी ½ हिस्सा वादीगण के बंट में दर्शाते हुए त्रुटिपूर्ण प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय के पास कोई दस्तावेजी व पर्याप्त साक्ष्य नहीं था। एक सह आसामी किसी भूमि विशेष पर अकेला खातेदारी अधिकार केवल भूमि क्षेत्र विभाजन के द्वारा ही पा सकता है। भू-प्रबंध अधिकारी (जो वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी को प्राप्त है।) भूमि क्षेत्र के टुकड़े नहीं कर सकता है, जब तक भूमिधारी का प्रस्ताव तैयार होकर न्यायालय को प्राप्त नहीं हो जाता है। प्राथमिक डिक्री में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौखिक बंटवाड़ा बाबत कोई जुबानी शहादत या दस्तावेज प्राप्त नहीं किया। एक सह आसामी दूसरे सहआसामी के विरूद्ध कब्जे का दावा नहीं ला सकता है, क्योंकि प्रत्येक सहआसामी का भूमि के प्रत्येक इंच पर काबिज समझा जाता है और अलग कब्जा पाने के लिये विभाजन का दावा लाना ही होता है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि 1997 आर.आर.डी. पेज 19 में धारित किया गया है कि न्यायालय द्वारा अपने समक्ष वाद दायर होने पर प्रतिवादीगण के नोटिस जारी किये जायेंगे और तामील होकर आने पर उभय पक्षकारों को सुना जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की

15.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जावेगी, जिसमें भूमिधारी तहसीलदार को बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स प्रस्ताव तैयार करने को आदेशित किया जायेगा। भूमिधारी तहसीलदार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 के तहत विभाजन हेतु प्रस्ताव तैयार न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर उक्त विभाजन प्रस्ताव पर आपत्तियॉ एवं सुनवाई कर ही अंतिम डिक्री जारी किये जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार 2017 आर.आर.डी. 473 उद्धरित करते हुए अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने कथन किया कि उक्त नजीर में माननीय मण्डल ने नियम विरूद्ध एवं गलत दिशा बताकर जारी की गई प्राथमिक डिक्री को खारिज किया है। हस्तगत मामले में भी दिशा बताकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई है जो अपास्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 तक की पालना नहीं की गई है। जिस कारण षडयंत्रपूर्वक तैयार की गई रिपोर्ट से भी स्पष्ट होता है कि जयराम फौत हो चुका है, फिर भी मौका फर्द में मौके पर उपस्थित होना बताया गया है। कस्बा बिलाड़ा के संख्या 4 के खसरा नं. 2102 रकबा 0.4530 हैक्टेयर भूमि पूर्ण रूप से विवादित है, जिसके कारण दोनो पक्षों के बीच झगड़ा दिनांक 24.04.2021, दिनांक 04.06.2021, दिनांक 10.11.2021, दिनांक 123.06.2022, दिनांक 04.07.2022, दिनांक 02.12.2022 व दिनांक 21.10.2023 को हुआ, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर एफ.आई.अ़ार संख्या 0198/2021 एवं 0414/2023 दिनांक 28.10.2023 दर्ज हुई, जिसकी जांच विचाराधीन है, जिसमें भयंकर रूप से लाठी भांटा जंग हुआ था, जिस कारण अपीलांट को भारी चोटे आई तथा लाठियों से वार किया गया, जिस कारण अपीलांट का पैर फैक्चर हो गया था, जिसको कई दिनों तक अस्पताल में भर्तीग रहना पड़ा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर तथा नियमों के विरूद्ध बिना भूमिधारी की रिपोर्ट के ही

15.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्राथमिक डिक्री में एक पक्षीय लाभ पहुचाने के लिये विशेष स्थान का चयन कर प्राथमिक डिक्री जारी की गई है जो अपास्त योग्य है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन निर्णय एंव प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.04.2023 के वाद नकल हेतु आवेदन किया था। बाद राज्य कर्मचारियों की हड़ताल होने एवं बाद में पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो जाने एवं उनके बाद अधिकारी चुनाव कार्य में व्यस्त हो जाने पर निर्णय एवं डिक्री की नकल दिनांक 23.10.2023 कसे जारी की गई। अपीलांट द्वारा नकल प्राप्ति दिनांक से अपील अंदर मयाद पेश की गई है। 2015 आर.आर.डी. 119 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा धारित मतानुसार मामले के गुणावगुण पर पर निर्णय करने हेतु क्षेत्राधिकारिता धारण करने हेतु माफ किया जाना अनिवार्य बताते हुए अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार की जाकर स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 अप्रैल 2023 को खारिज फरमाया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक से पांच ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का समर्थन करते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट्स वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 2102 के पश्चिमी ½ हिस्से पर काबिज काश्त है तथा मौके पर काश्त करते आ रहे है। रेस्पोडेंट्स द्वारा दिनांक 14 मई 2021 को बलपूर्वक वादग्रस्त आराजी के पश्चिमी ½ हिस्से पर वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि पर बनी तारबंदी एवं माठ को तोड़ने का प्रयास पर उनके विरुद्ध एफ.आई.आर दर्ज करवायी गई तथा पश्चिमी हिस्से के विभाजन हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त

15.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आराजी के पश्चिमी हिस्से पर कब्जे अनुसार वादग्रस्त आराजी का विभाजन किये जाने का अनुतोष चाहा गया। विचारण न्यायालय में वादी/रेस्पोंडेंट्स अधिवक्ता द्वारा आदेशिका पर अनुतोष अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने के निवेदन एवं उस पर अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा आदेशिका पर लिखित में अपने हस्ताक्षर कर सहमति प्रदान किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष के अधिवक्तागण की सहमति से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। माननीय राजस्व मण्डल की खण्डपीठ ने 2002(1) आर.आर.टी. 342 में प्रतिपादित किया है कि पक्षकारान् की सहमति से मौके पर कब्जे अनुसार विभाजन की डिक्री देने में कोई रोक नहीं है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या एक से आठ की ओर से सहमति प्रदान किये जाने के पश्चात शेष प्रतिवादीगण द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की जाकर केवल अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट्स/वादीगण को हैरान व परेशान करने के उद्धेश्य से हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है। जो खारिज किये जाने योग्य है, क्योंकि 2023(1)डी.एन.जे.(रेव.) 750 में धारित किया गया है कि सहमति प्रदान किये जाने के बाद निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती है। विचारण न्यायालय में वाद में संयोजित समस्त पक्षकारान अपील में भी हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार है, जिन्हें अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में सभी पक्षकारों/खातेदारों को पक्षकार संयोजित ही नहीं किया। 2018 आर.बी.जे 505 एवं आदेश 41 नियम 20 सीपीसी के मुताबिक जब व्यक्ति नीचे की अदालत में पक्षकार था तो वह अपील में आवश्यक पक्षकार है व उसे पक्षकार बनाया जाना चाहिए। मगर आलौच्य मामले में अपीलाण्ट द्वारा ऐसा नहीं किया गाय। अतः प्रस्तुत अपील पक्षकारान् के असंयोजन/कुसंयोजन (nonjoinder/misjoinder of parties) के आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष के

15.1.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिवक्तागण की सहमति से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है। ऐसी स्थिति में मामले में विवाघको विरंचना की आवश्यकता ही नहीं रही। इस संबंध में 2008(2) आर.आर.टी. 799 में माननीय उच्च न्यायालय ने माना है कि तनकीयात की विरचना के तकनीकी आधार पर डिक्री का निरस्त नहीं किया जा सकता है।

वकील रेस्पोडेंट ने प्रार्थना अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम के जवाब में अपनी बहस में निवेदन किया किया हस्तगत अपील उभय पक्ष के अधिवक्तागण की उपस्थिति में पारित की गई होने से अपीलांट्स को आलौच्य निर्णय एवं डिक्री की जानकारी शुरुआत से रही है। माननीय राजस्व मण्डल ने 2022(1) डी.एन.जे.(रेव.)374 उद्धरित कर अधिवक्ता-रेस्पो. ने कथन किया कि अधिवक्ता की जानकारी स्वयं पक्षकार की जानकारी होती है, अतः अधिवक्ता की उपस्थिति में पारित आदेश के मामले में जानकारी का अभाव माना जाकर विलम्ब माफ नहीं किया जा सकता है। अपीलांट ने कथन किया कि उनके द्वारा तुरन्त ही प्रतिलिपि हेतु नकल पेश कर दी गई जो कर्मचारियों की हड़ताल की वजह प्राप्त नहीं हो सकी। अपीलांट के उक्त कथन मिथ्या है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 29.05.2023 को ही कार्यालय आदेश जारी कर मन्त्रायलिक कार्मिकों की हड़ताल की वजह से कार्य प्रभावित न हो इसलिए नायब तहसीलदार श्री मोतीलाल चौरोटिया को न्यायालय में अस्थाई रीडर के रूप में नियुक्त कर दिया था। उक्त अवधि में ही रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता द्वारा दिनांक 30.05.2023 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल हेतु आवेदन किया था जो दिनांक 31.05.2023 को नकल प्राप्त हो गई। अपीलांट द्वारा अपने उक्त कथनों की पुष्टि हेतु ऐसे कोई नकल प्रार्थना पत्र की प्रति पेश नहीं की गई जो विचारण न्यायालय के समक्ष अंदर म्याद पेश किया गया है। अधिवक्ता-रेस्पो. ने यह भी जाहिर

15.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

किया कि माननीय उच्च न्यायालय ने 2010(2) आर.आर.टी. 801 के मामले में अपील पेश करने में मात्र तीन दिन के विलंब हेतु पर्याप्त कारण स्पष्ट नहीं करने पर अपील को खारिज किया गया है। अधिवक्ता रेस्पो. का तर्क है कि माननीय राजस्व मण्डल ने 2020 आर.बी.जे. 221 में स्पष्ट मत प्रतिपादित किया है कि जब देरी को शमित करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है, तो विलंब को शमित नहीं किया जा सकता है। अपीलांट द्वारा विलंब का कोई संतोषजनक कारण स्पष्ट किये बिना 8 माह बाद हस्तगत अपील पेश की है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित होने के पश्चात निरंतर विचारण न्यायालय में उपस्थित होकर चाराजोही की जा रही है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

राजकीय अधिवक्ता प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में ससम्मान परिशीलन किया गया।

विचारण न्यायालय की पत्रावली में आदेशिका दिनांक 10.04.2023 के अवलोकन मुताबिक उक्त आदेशिका में हाशिये पर वादीगण के अधिवक्ता द्वारा वाद के पद संख्या 10 में चाहे अनुतोष अनुसार पी.डी. जारी की जावे तो कोई आपत्ति नहीं होना तथा वकील प्रतिवादी द्वारा पी.डी. जारी की जाये तो कोई आपत्ति नहीं अंकित करते हुए अपने हस्ताक्षर कर प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने में अपनी सहमति प्रदान किया जाना पाया जाता है। अपीलांट द्वारा सहमति प्रदान किये जाने से 1997 आर.आर.डी. 19 के तथ्य हस्तगत प्रकरण से भिन्न होने से उक्त

15.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नजीर के आधार पर अपीलाण्ट को कोई अनुतोष प्रदान किया जाना सम्भव नहीं है।

विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष के अधिवक्तागण की मय हस्ताक्षर सहमति के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 10 अप्रैल 2023 पारित करते हुए मूल वाद के पद संख्या 10 के उपपद (क) में चाहे गये अनुतोष अनुसार राजस्व ग्राम बिलाडा चक 4 के खाता संख्या 1228 में वर्णित भूमियों (कुल 11 खसरान रकबा 3.1634 हैक्टेयर) बाबत वादीगण के हक में बरखिलाफ प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी और पद संख्या 10 के उपपद (ख) में वर्णितानुसार राजस्व ग्राम बिलाडा चक 4 के खाता संख्या 1293 की भूमि (खसरा नं. 2102 रकबा 0.4530 हैक्टेयर) में पश्चिमी ½ हिस्सा वादीगण के बंट में तथा पूर्वी ½ हिस्सा प्रतिवादीगण के बंट में रखते हुए बंटवाड़ा प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेशित कर राजस्थान टीनेंसी एक्ट के नियमों के प्रावधानों के तहत विभाजन प्रस्ताव पारित किये जाने का आदेश दिया जाना पाया जाता है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष सहमति प्रदान किये जाने के उपरांत विचारण न्यायालय द्वारा आलौच्य निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का विचारण न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री जारी किये जाने का उज्र समाप्त हो जाता है तथा 2023(1) डी. एन.जे.(रेव.) 750 में धारित मतानुसार तथा विबंधन सिद्धांत अनुसार अपीलांट द्वारा सहमति प्रदान किये जाने के बाद निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती है। यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय राजस्व मण्डल की खण्डपीठ ने 2002(1) आर.आर.टी. 342 में प्रतिपादित किया है कि पक्षकारान् की सहमति से मौके पर कब्जे अनुसार विभाजन की डिक्री देने में कोई रोक नहीं है।

15.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विचारण न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा आदेशिका के हाशिये पर हस्ताक्षरों सहित अंकित सहमति के आधार पर आलौच्य निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है जिसके आधार पर वादग्रस्त भूमि में अपीलांट सहित अन्य प्रतिवादीगण के राजस्व रेकर्ड में निहित हिस्से में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में कोई विधिक त्रुटि अथवा अनियमितता नहीं पायी जाती है। अतः अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी में दिशाओं के संबंध में तथा तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने संबंधितप्रकिया के संबंध में अधिवक्ता-अपीलांट का उज्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। इस संबंध में 2002(1) आर.आर.टी. 342 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा मौके पर कब्जे अनुसार विभाजन की डिक्री प्रदान करने में कोई रोक नहीं होना धारित किया गया है। जहां तक तक अपीलांट की अनुपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने का प्रश्न है, उक्त प्रक्रिया आलौच्य निर्णय एवं डिक्री पारित होने की पश्चातवर्ती कार्यवाही तथा इस संबंध में अपीलांट द्वारा आपत्तियॉ प्रस्तुत की गई है, जिसका विचारण न्यायालय द्वारा निस्तारण किया जाना शेष है।

उल्लेखनीय है कि मूल वाद राज्य सरकार सहित कुल 9 प्रतिवादीगण के खिलाफ विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, किन्तु आलैच्य अपील में अपीलांट द्वारा वाद में संयोजित समस्त पक्षकारान (प्रतिवादीगण संख्या एक व तीन से आठ) को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में 2018 आर.बी.जे. 2018 पेज 505 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 41 नियम 20 के अनुसार उक्त प्रतिवादीगण भी हितबद्ध पक्षकार है जिन्हें आलौच्य अपील में पक्षकार संयोजित किया जाना अनिवार्य पाया जाता है। अपीलाण्ट

15.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

द्वारा इन प्रतिवादीगण को पक्षकार संयोजित किये बिना ही प्रस्तुत आलौच्य अपील nonjoinder of parties के दोष से ग्रसित होने के कारण खारिज योग्य पायी जाती है।

जहाँ तक अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का प्रश्न है, इस संबंध में अधिवकता-अपीलाण्ट का कथन है कि आलौच्य निर्णय एवं डिक्री पारित होने के पश्चात कर्मचारियों की हड़ताल, पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण एवं चुनाव के कारण अपीलांट का नकल प्राप्त नहीं हो सकी। किन्तु इस संबंध में वकील रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 29.05.2023 की प्रति एवं उनके द्वारा विचारण न्यायालय से प्राप्त प्रतिलिपि की प्रति मुताबिक कर्मचारियों की हड़ताल के कारण न्याय कार्य के सुगम संचालन हेतु विचारण न्यायालय द्वारा अस्थाई रीडर की नियुक्ति किया जाना पाया जाता है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी की सत्यापित प्रति प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किसी नकल प्रार्थना की प्रति पेश नहीं की गई है जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि अपीलाण्ट द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी की सत्यापित प्रति हेतु कब आवेदन किया गया और कब उसे अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी की सत्यापित प्रतियाँ प्राप्त हुई। अपील के साथ अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी की जो नकलें पेश की गयी है, उनके अवलोकन से विचारण न्यायालय में नकलों हेतु दिनांक 19 अक्तूबर 2023 को आवेदन किया जाना तथा दिनांक 23 अक्तूबर 2023 को नकलें जारी किया जाना प्रकट होता है, मगर अपीलाण्ट द्वारा अवधि के पूर्व एवं पश्चात के विलम्ब बाबत कोई ठोस संतोषजनक एवं विश्वसनीय कारण प्रकट नहीं किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में वाद में निरंतर पैरवी किये जाने से आलौच्य निर्णय एवं डिक्री की जानकारी शुरू से रही है। ऐसी स्थिति में

15.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

म्याद के संबंध में 2022(1) डी.एन.जे.(रेव.) 374, 2010(2) आर.आर.टी. 801 एवं 2020 आर.बी.जे. 221 में धारित मत हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया लागू होते हैं।

उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट मियाद-बाधित एवं सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 65/2021 स्व. जयराम के कायम मुकाम व अन्य बनाम जगदीश इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 10 अप्रैल 2023 यथावत रखे जाते है। साथ ही विचारण न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव उभयपक्षकारान की उपस्थिति में संबंधित तहसीलदार से तैयार करवाये जाकर तलब किये जावे और इस प्रकार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव बाबत पक्षकारान के उज्र-एतराज (यदि कोई हो) का निस्तारण करते हुए अंतिम डिकी एवं निर्णय पारित किये जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15.1.24

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

डिकी बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

अपीलाण्ट		**रेस्पोडेण्ट**
फूलचन्द पुत्र नाथाराम, जाति खारड़िया सीरवी, निवासी- बेरा लखावतों का पोल वाला बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राजस्थान।	ब ना म	1. नारायणराम पुत्र रूपाराम 2. भंवरलाल पुत्र दानाराम 3. रतनलाल पुत्र रूपाराम 4. लादूराम पुत्र दानाराम 5. नाथीदेवी पत्नी रूपाराम सभी जाति खारड़िया सीरवी, 6. निवासी- बेरा लखावतों का पोल वाला बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राजस्थान। 7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 10 अप्रैल 2023 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा राजस्व मूल वाद संख्या 65/2021 स्व. जयराम के कायम मुकाम व अन्य बनाम जगदीश इत्यादि

------- 0 -------

दावा बाबत

यह अपील आज बतारीख 15 जनवरी 2024 बहाजरी अधिवक्ता श्री अशोक पटेल मिनजानिब अपीलाण्ट, अधिवक्ता श्री मदनलाल चौधरीएवं राजकीय अधिवक्ता श्री दयाराम चौधरी मिनजानिब रेस्पो. उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट मियाद-बाधित एवं सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 65/2021 स्व. जयराम के कायम मुकाम व अन्य बनाम जगदीश इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 10 अप्रैल 2023 यथावत रखे जाते है। साथ ही विचारण न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव उभयपक्षकारान की उपस्थिति में संबंधित तहसीलदार से तैयार करवाये जाकर तलब किये जावे और इस प्रकार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव बाबत पक्षकारान के उज्र-एतराज (यदि कोई हो) का निस्तारण करते हुए अंतिम डिकी एवं निर्णय पारित किये जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

15.1.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निरन्तर....

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---------) रूपये -------------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ---------- अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 15 जनवरी 2024 को जारी किया गया।

15.1.24

(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

15.1.24

(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर